राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1185/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
शिवभगवान पारीक जोशी नया गंगा माई का मंदिर वार्ड-33] सरदार शहर चुरु , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव स्वायत शासन सचिवालय जयपुर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरूप माथुर, सलाहकार उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-05-2017 के द्वारा सरदार शहर नगर पालिका की जीप वाहन की लॉग बुक व अन्य विषयों से संबंधित 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन विभाग में दिनांक 02-06-2017 को प्राप्त हुआ। वांछित सूचना नगर पालिका सरदार शहर से संबंधित होने के कारण आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत दिनांक 16-06-2017 को नगर पालिका सरदार शहर को अन्तरित किया गया जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदन का अन्तरण नियत समय सीमा में नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को सही व सटीक सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त कर अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त